

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/00056/2020 जयपुर, दिनांक 06.01.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट नं./बैच	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	36 (2011)	श्री गगनदीप सिंह, सहायक प्रोग्रामर	म्यूनिसिपल टाऊन्स, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर	1. CBSE – ANALYST (IT)
2.	195 (2013)	श्री नकुल अग्रवाल, सहायक प्रोग्रामर	म्यूनिसिपल टाऊन्स, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर	1. RPSC – VICE PRINCIPAL / SUPT. ITI-2018
3.	New IA 2018	श्री विवेक श्रीमाली, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर	1. RBI ASSISTANT EXAMINATION – 2019 2. SSC CGL - 2019
4.	2744 (2013)	श्री तिलाराम, सूचना सहायक	कार्यालय निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) गुडामालानी जिला- बाड़मेर	1. RPSC – POLITICAL SCIENCE FOR SCHOOL LECTURER (BOY SCHOOL) - 2018
5.	New IA 2018	श्री विजय कुमार दाधीच, सूचना सहायक	निदेशालय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, जयपुर	1. RPSC – VICE PRINCIPAL / SUPT. ITI-2018
6.	W-11 (2013)	श्री विकास साहू, सूचना सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग कलैक्ट्रेट, धौलपुर	1. राज्य सेवा परीक्षा 2019 (MPPSC) 2. राज्य वन सेवा परीक्षा 2019 (MPPSC)
7.	New IA 2018	श्री तेजेश कुमार, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-सायरा, उदयपुर	1. DEFENCE R & D ORGANISATION – ADMINISTRATIVE ASSISTANT 'A' (ENGLISH TYPING) 2. SSC (CR10819) – PHASE- VII/ 2019/ SELECTION POST 3. SSC CGL - 2019

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

Contd. - -

4. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— 54 —

(विवेक कुमार)

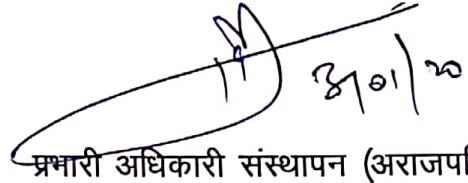
आरएएस

विशेषाधिकारी(यू.आई.डी.)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

 31.01.20

प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)